राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग

क्रमांकःप. 2(2)(48)का/क–3/2002 जयपुर, दिनांकः 15 MAY 2012

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टरों सहित।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृती हेतु प्रेषित प्रकरणों में कभी–कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृती प्रकरण के तथ्यों पर स्वतंत्र विवेचन के बिना एवं विवेक का प्रयोग किये बिना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रेषित अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप के आधार पर ही जारी कर दी जाती है। ऐसी अभियोजन स्वीकृति जिनमें तथ्यों का स्वतन्त्र विवेचन नहीं होता है तो ऐसे प्रकरण मा0 न्यायालयों द्वारा निरस्त करने की संभावना बढ़ जाती है।

अतः इस बात की सुनिश्चितता की जावे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृती जारी करते समय प्रकरण के तथ्यों पर स्वमनन करते हुए प्रकरण के तथ्यों पर स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण चिंतन करते हुए अभियोजन स्वीकृती के प्रकरणों का निस्तारण किया जावे एवं विवेकपूर्ण मनन किये जाने का उल्लेख भी अभियोजन स्वीकृती में किया जावे।

14.5.2012
प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सतर्कता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
5. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग

14/5/12
शासन उप सचिव